



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2009/पौष 10, 1931

No. 737]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2009/PAUSA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 934(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 16 की उप-धारा (1क), उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (घक), खंड (ड) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 में,—

(i) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“भर्ती की प्रक्रिया.—महानिदेशक के कार्यालय के अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची-3 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(ii) अनुसूची-2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची-3
नियम 7 देखें।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सोपी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सोपी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और अर्हताएं	परिचया की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सौधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमोलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन्हें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसके संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. अपर महाविदेशिक (वितीय शिक्षण)	1 (एक)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8900 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा 'समूह क' या स्वायत्तशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कम्पनी मास्टर डिग्री या लागत संकर्म लेखापाल है तथा नियमित आधार पर साहस्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपए, ग्रेड वेतन या समतुल्य में छह वर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव रखा है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वितीय विशेषणों में अनुभव।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अद्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।
2. अपर महाविदेशिक (अर्थशास्त्र)	1 (एक)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8900 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	--	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' या भारतीय आर्थिक सेवा या स्वायत्तशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या साहस्य पद या श्रेणी में काम कर	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अद्यक्ष	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. अपर महाविदेशक (विधि)	2 (दो)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपर + ग्रेड वेतन 8900 रुपर	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक या अल्पकालिक सविदा द्वारा	रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपए ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या समतुल्य अनुभव है अथवा किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	(ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।
4. संयुक्त महाविदेशक (वितीय विनिष्पन्न)	2 (दो)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपर + ग्रेड वेतन 8900 रुपर	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक या अल्पकालिक सविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय स्थित सेवा या स्मूट 'क' या भारतीय विधि सेवा या स्वायत्तशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री है तथा साक्षर पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपए ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या समतुल्य अनुभव है या किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	(i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5. संयुक्त महाविदेशक (अर्थशास्त्र)	3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संधिदा द्वारा	लेखापाल है तथा सादर्य पद/श्रेणी या 7600 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष या 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य काम रह रहे हैं और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वितीय विश्लेषण में अनुभव।	प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।
6. संयुक्त महाविदेशक (विधि)	3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संधिदा द्वारा	अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'/भारतीय विधि सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा/स्वायत्तशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक/ अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में मास्टर डिग्री है और सादर्य पद/ग्रेड या 7600 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष या 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दस वर्ष से या समतुल्य कार्य रह रहे हैं और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्र में अनुभव।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।

प्रतिस्पर्धा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7. उप-महानिदेशक (वित्तीय विशेषण)	4 (चार)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	पद या ग्रेड में अथवा 7600 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष या 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य काम किया हो और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्टित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।
8. उप-महानिदेशक (अर्थशास्त्र)	3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा आंतर्यक अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'/भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी संगठन/वित्तियामक सेवा/स्वायत्तशासी संगठनों/अकादमिक/ प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक/ अनुसंधान संस्थानों आदि के ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री हो/वित्त और लेखे के साथ कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/लागत और संकल्प लेखापाल हैं और जो साहश्य पद/श्रेणी या 6600 रुपए के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पाँच वर्ष काम किया हो और किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	चयन समिति लिम्कालिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्टित विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9. उप-महाविदेशक (विधि)	8 (आठ)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परियर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिवियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिवियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय स्थित सेवा समूह 'क'/भारतीय विधि सेवा/स्वायत्तशासी संगठनों/विश्वविद्यालय प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक/ अनुसंधान/व्यापिक संस्थाओं आदि के ऐसे अधिकारी जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री हो और जिन्होंने साक्ष्य पट/ग्रेड में कार्य कर रहे हो या 6600 रुपए के ग्रेड वेतन के समतुल्य में पाँच वर्ष की सेवा की हो या किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धी विधि में अनुभव।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अजमेर (ii) भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	लागू नहीं होता।
10. उप-महाविदेशक (कारपोरेट सेवा)	1 (एक)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परियर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	---	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिवियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिवियुक्ति द्वारा : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधा की किसी शाखा में स्नातक डिग्री या समतुल्य। आवश्यक : ऐसे अधिकारी जो साक्ष्य पट/ग्रेड में काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)/निजी पबंधन/सचिवीय व्यवसाय/पशासन में 6600 रुपए या समतुल्य के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष का अनुभव है।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अजमेर (ii) भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग का	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11. सहायक महाविदेशक (कारपोरेट सेवा)	3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संधिदा द्वारा	याचनीय : उच्चतर अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग का ऐसा प्रतिनियुक्ति, जो निदेशक के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य (iii) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए तो सक्ति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा - सदस्य	लागू नहीं होता।
12. कार्यालय प्रबंधक (कारपोरेट सेवा)	4 (चार)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता	9300- 34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संधिदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो साहस्य पद/ग्रेड में काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)/निजी व्यवसाय/पशासन में 5400 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष का या 4800 रुपए ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 4600 रुपए ग्रेड वेतन में सात वर्ष का या 4200 रुपए का ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य अनुभव है।	ऐसे अधिकारी जो साहस्य पद/ग्रेड में काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)/निजी व्यवसाय/पशासन में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 4600 रुपए ग्रेड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रुपए ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का या समतुल्य अनुभव	प्रतिनियुक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए तो सक्ति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा - सदस्य चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सकता है।										है। याञ्छनीय उच्चतर अईला और अनुभव को हरियला दी जाएगी।	मंत्रालय अध्यक्ष (ii) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य (iii) भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग का प्रतिनिधि, जो उप सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य	

[फा. सं. 5/25/2007-आई.जी.सी./सी.एस.]

पी. डी. सुधाकर, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 338(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 439(अ), तारीख 23 जून, 2009 द्वारा पश्चात् संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2009

G.S.R. 934(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, namely: -

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) second Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009,-

(i) for rule 7, the following shall be substituted, namely:-

"7. Procedure for Recruitment.- The recruitment of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General shall be made by the Central Government in the manner as specified in schedule-III

(ii) after Schedule II, the following schedule shall be inserted, namely:-

4760 GI/09-2

[See rule 7]

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band with Grade pay or pay scale	Whether selection Post or non-selection Post	Whether benefit of added years of services admissible under the rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer or grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Additional Director-General (Financial Analysis)	1(One)*200 9) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs.8900	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation. Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant and working in analogous post or grade or two years experience in the grade pay of Rs.8700 or six years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent. and having experience in investigation under any economic law.	Selection Committee consisting of - (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Additional Director-General (Economics)	*1(one) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 9900	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Economics and working in analogous post or grade or two years experience in the grade pay of Rs. 8700 or six years in the grade pay of Rs. 7600 or equivalent. and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Selection Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government - Member	Not applicable
3. Additional Director-General (Law)	2* (Two) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8900	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civil Services Group 'A' or Indian Law Service or Indian Corporate Law Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research or Judicial Institutions having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post or grade or two years experience in the grade pay of Rs. 8700 or six	Selection Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(Economics)	variation dependent on work load		Grade Pay Rs. 8700								Officers of the All India Services/ Central Civil Services/ Group 'A' or Indian Economic Service/ Indian Statistical Services/ Autonomous Organisations or Regulatory Authorities/ Universities/Academic/Research Institutions etc. with Master's Degree in Economics/ Statistics and working in analogous posts / grade or five years in the grade pay of Rs. 7600 or ten years in the grade pay of Rs. 6600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable. Experience in Competition Economics	(i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	
6. Joint Director-General (Law)	3(Three)* (2009) "Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 37400- 57000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civil Services/ Group 'A'/ Indian Law Services/ Indian Corporate Law Service / Autonomous (Central/State Government) Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities. Academic/Research / Judicial Institutions etc. having Degree in Law from a recognised university and working in analogous post or grade or five years in the grade pay of Rs. 7600 or ten	Selection Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4. Joint Director-General (Financial Analysis)	2(Two)*12009 *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation of short term contract	years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Government-Member		
5. Joint Director-General	3(Three)*2009 *Subject to	Not applicable	Rs. 37400- 67000 +	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation of short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A'/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/Universities/ Academic / Research Institutions with a Masters Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration (Finance)/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost and Works Accountant and working in analogous posts / grade or five years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in financial analysis related to competition issues	Selection Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	Selection Committee consisting of :-	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Deputy Director-General (Financial Analysis)	4(Four) *(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 7600	Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	years in the grade pay of Rs. 6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Government Member	Not applicable
8. Deputy Director-General (Economics)	8(Eight) (2009) *Subject to variation dependent	Not applicable	Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 7600	Selection	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services / Group 'A' / Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration with Finance and accounts / Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost and Works Accountant and working in analogous post / grade or five years service in the grade pay of Rs. 6600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law	Selection Committee consisting of :- (i) Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	Selection Committee consisting of :- (i) Additional Secretary,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 Deputy Director-General (Law)	8(Eight) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	Economics Service/ Indian Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post/ grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	Not applicable
	on work load										By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A'/ Indian Law Service/ Indian Corporate Law Service / Autonomous Organisations / Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research/ Judicial Institutions etc. having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post / grade or five years service in the Grade pay of Rs 6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law	Selection Committee consisting of :- (i) Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 Deputy Director General (Corporate Services)	1 (One) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 15600-39100 Grade Pay Rs 7600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 6600 or equivalent in the relevant field (Establishment / Personnel Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.	Selection Committee consisting of: (i) Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government Member	Not applicable
11 Assistant Director General (Corporate Services)	3 (Three) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 15600-39100 Grade Pay Rs 6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 5400 or six years in the grade pay of Rs 4800 or seven years in the grade pay of Rs 4600 or ten years in the grade pay of Rs 4200 or grade pay of Rs 4200 or equivalent in the relevant field (Establishment / Personnel Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.	Selection Committee consisting of: (i) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of Competition Commission of India not below the level of Director Member (iii) Outside expert considered if	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. Office Manager (Corporate Service)	4(Four) 2009 *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 9300-34800 + Grade pay Rs 5400	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	Administration) Desirable Higher qualification and experience will be given preference Officers working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Establishment/ Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable Higher qualification and experience will be given preference	necessary may be co-opted by the committee - Member Selection Committees consisting of : (i) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member (iii) Representative of Competition Commission of India not below the level of Deputy Secretary Member	Not applicable

[F. No 5/25/2007-IGC/CS]

P. D. SUDHAKAR, Spl. Secy

Note :— The principal rules were published in the Gazette of Indian, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 338 (E), dated the 15th May, 2009 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 439 (E), dated 23rd June, 2009.